

प्रारूप-ग
(नियम 3 (2) देखिये।
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) केलहारी,
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)
// अनुज्ञा //

रा.प्र.क.- 202503330200002

क्रमांक / 528 / वाचक / 2025

आदेश दिनांक 6 / 03 / 2025
केलहारी, दिनांक 6 / 03 / 2025

प्रति,

श्रीराम पिता रामलाल जाति पनिका
निवासी ग्राम बिहारपुर तहसील केलहारी
जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)

विषय:-

भूमि स्वामी के भूमि में प्राकृतिक/रोपित वृक्षों की कटाई हेतु अनुज्ञा।

—00—

आपके द्वारा वृक्ष कटाई नियम 2022 के तहत ग्राम आमदमक के पटवारी हल्का नंबर 3 में स्थित भूमि खसरा नंबर 215/2 रकबा 0.1200 हे. 07 आम, का वृक्ष को काटे जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व निरीक्षक केलहारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी (वन) केलहारी से जांच प्रतिवेदन सह पंचनामा प प्रजातिवार वृक्ष की सहित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम बिहारपुर स्थित पटवारी हल्का नंबर 11 खसरा नंबर 215/2 रकबा 0.1200 हे. 07 आम वृक्ष में से 04 आम, वृक्ष काटे जाने पर संहिता की किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

अतः छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुई, भूमिस्वामी अपने भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई, राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधा पर करवा सकेगा। छत्तीसगढ़ आदिम जाति जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम 2022, अधिसूचना 24.11.2022 के प्रावधानों के तहत वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपों तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 95 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खातों में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 05 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 5 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 5 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी रा0 केलहारी के माध्यम से कलेक्टर को दी जाएगी। उपरोक्त नियम व शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कलैण्डर वर्ष तक मान्य होगा।

पृ0 / क्रमांक / 529 / वाचक / 2025

1. कलेक्टर महोदय जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वन मंडलाधिकारी मनेन्द्रगढ़/बिहारपुर/केलहारी को ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त नियम शर्तों का पालन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. तहसीलदार केलहारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। वृक्षों की कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख में अद्यतन करने हेतु प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) केलहारी, जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)
केलहारी, दिनांक 6 / 03 / 2025

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) केलहारी, जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)